

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल

क्रमांक / 2327 / नग्रानि / वि.यो / 106-2 / 2013

भोपाल, दिनांक 6/5/13

कार्यालयीन आदेश

संचालनालय द्वारा म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18(3) के अंतर्गत प्रारूप विकास योजना पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव का सुनवाई प्रतिवेदन संचालक की अनुशंसाओं के साथ शासन को भेजने के पूर्व उक्त आपत्ति/सुझावों के परीक्षण हेतु संचालनालय स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|----|--------------------------------|------------|
| 1. | आयुक्त सह संचालक | अध्यक्ष |
| 2. | अपर संचालक | सदस्य |
| 3. | संयुक्त संचालक विकास योजना | सदस्य |
| 4. | संयुक्त संचालक तकनीकी प्रकोष्ठ | सदस्य |
| 5. | संबंधित जिला कार्यालय प्रमुख | सदस्य सचिव |

उक्त समिति अधिनियम की धारा 18(2) के अंतर्गत प्राप्त आपत्ति/सुझाव सुनवाई प्रतिवेदन पर अधिनियम की धारा 18(3) अंतर्गत शासन को भेजे जाने वाले मत का प्रारूप तैयार करेगी ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल

भोपाल, दिनांक 6/5/13

पृ.क्र. / 2328 / नग्रानि / वियो / 106-2 /
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. अपर संचालक, संयुक्त संचालक, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल ।
3. समस्त जिला कार्यालय प्रमुख की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र.भोपाल